अति आवश्यक

सं0 पर(एपी–बी)बी(1)–1/98–पार्ट
हिमाचल प्रदेश सरकार
कार्मिक विभाग(नि0–II)

दिनांक शिमला–171 002, 23 जून, 2009

प्रेषक

सचिव (कार्मिक)
हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रेषित

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, हिमाचल प्रदेश ।

विषयः एक ही नाम–अधिमान के पदों के लिए वर्ष में एक ही बार परीक्षा आयोजित करने बारे ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मंत्रीमण्डल की बैठक दिनांक 19.6.2009 में यह निर्णय लिया गया है कि एक ही नाम–अधिमान के पद जैसे लिपिक, कनिष्ट आशुलिपिक, कनिष्ट अभियन्ता सिविल/इलेक्ट्रीकल/मैकेनिकल तथा सहायक अभियन्ता सिविल /इलेक्ट्रीकल /मकैनिकल आदि के पदों पर संस्तुति के लिए समस्त संबंधित विभागों द्वारा प्रत्येक वर्ष की समाप्ति से पूर्व संबंधित भर्ती संस्था अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड तथा हि0 प्र0 लोक सेवा आयोग को माँगपत्र प्रेषित किये जायेंगे तथा उन द्वारा उन पदों के लिए वर्ष में एक ही बार परीक्षा आयोजित की जाएगी । इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रत्याशी किसी भी पद के लिये केवल एक सादे कागज़ पर आवेदन करेगा तथा उसमें दिये गये तथ्यों को स्वयं सत्यापित कर हस्ताक्षरित करेगा जिसमें किसी भी प्रमाण पत्र को संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होगी । प्रमाण पत्र एवं पात्रता की जांच केवल साक्षात्कार के समय की जाएगी । कृप्या इन अनुदेशों का अक्षरशः पालन किया जाए ।

भवदीय,

उप सचिव (कार्मिक)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरी दिनांक शिमला–2, 23 जून, 2009

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है तथा उनसे अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित अनुदेशों की अनुपालना पूर्णरूपेण सुनिश्चित कर कृत कार्रवाई से इस विभाग को भी अवगत करवाएं :–

(1) सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला–171 002
(2) सचिव, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर–177 001

उप सचिव (कार्मिक)
हिमाचल प्रदेश सरकार